गैर-ईप्रामाण मेरी पहचान उपयोगकर्ताओं के लिए

- 1. DigiShakti वेबसाइट पर जाएँ।
- 2. अपने विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/काउंसिल, कॉलेज/संस्थान, नामांकन संख्या, कैप्चा दर्ज करें और "सर्च" पर क्लिक करें।
- 3. "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan" पर क्लिक करें।
- 1. ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट पर, "New user? Sign up for MeriPehchaan." का चयन करें।
- 4. मोबाइल नंबर दर्ज करें और उसे सत्यापित करें (िकसी भी मोबाइल नंबर को दर्ज िकया जा सकता है, भले ही वह आधार से लिंक न हो)। पंजीकरण फॉर्म भरें (कृपया दिए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि को आधार कार्ड पर जैसे दिखते हैं, वैसे ही भरें) और फॉर्म सबिमट करें।
- 5. अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP माध्यम चुनें। OTP आधार-सत्यापित मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। OTP प्राप्त करने के बाद, उसे सत्यापित करें और फॉर्म सबिमट करें।
- 6. एक बार KYC सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट आपको फिर से DigiShakti वेबसाइट पर वापस redirect कर देगी।

मौजूदा ईप्रामाण मेरी पहचान उपयोगकर्ताओं के लिए

- 1. DigiShakti वेबसाइट पर जाएँ।
- 2. अपने विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/काउंसिल, कॉलेज/संस्थान, नामांकन संख्या, कैप्चा दर्ज करें और "search" पर क्लिक करें।
- 3. "Verify through the Login using e-Pramaan MeriPehchaan" पर क्लिक करें।
- 4. अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें, फिर फॉर्म सबिमट करें।
 - मंभावना 1: यदि उस खाते के लिए KYC पूरा नहीं हुआ है, तो ई-प्रामाण आपको आधार KYC पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।
 - संभावना 2: यदि आधार KYC पहले से ही पूरा हो चुका है, तो ई-प्रामाण इसे फिर से नहीं पूछेगा,
 और आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
- 5. इसके बाद, ई-प्रामाण मेरीपहचान वेबसाइट आपको फिर से DigiShakti वेबसाइट पर वापस redirect कर देगी।

नोट्स:

- 1. कभी-कभी उपयोगकर्ता अलग से ई-प्रामाण पर जाकर आधार KYC पूरा करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनका प्रोफाइल केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है। ध्यान रखें कि DigiShakti के लिए बस आधार KYC अनिवार्य है, चाहे प्रोफाइल पूरा होने की प्रतिशतता कुछ भी हो। DigiShakti के लिए बस आधार KYC पूरी तरह से पूरा होना आवश्यक है।
- 2. ई-प्रमाण मेरीपहचान एक खाते पर केवल एक आधार KYC की अनुमित देता है। यदि आपने एक खाते पर पहले ही KYC पूरा कर लिया है, तो आप इसे दूसरे ई-प्रमाण खाते पर दोबारा नहीं कर सकते। यदि आपने अपने क्रेडेंशियल्स भूल गए हैं, तो ई-प्रमाण पर "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और अपने उपयोगकर्ता नाम, मोबाइल नंबर, या आधार नंबर का उपयोग करके इसे रीसेट करें।
- 3. यदि उपयोगकर्ता ने ई-प्रामाण पर गलत दिए गए नाम/लिंग/जन्म तिथि दी है, तो "https://epramaan.meripehchaan.gov.in" पर जाएँ, अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से साइन इन करें, "Manage Profile," के अन्तर्गत "Edit Profile," पर क्लिक करें, सही विवरण दें और प्रोफाइल अपडेट करें, फिर KYC के लिए जाएँ।